न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 82/2016/ जिला–अजमेर (2016/00071)

1. गोपाल पुत्र रघुनाथ
2. श्योपाल पुत्र रघुनाथ
3. हरदयाल पुत्र रघुनाथ
4. ओंकार पुत्र गणेश
5. मिठ्ठूलाल पुत्र गणेश
6. ओकार पुत्र कन्हैया

सभी जाति गुर्जर निवासी ग्राम कायड़ तहसील व जिला अजमेर।

..... अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती जस्सी देवी उर्फ गलकु पत्नी कानसिंह जाति रावत निवासी मकान नम्बर 145 महेश कॉलोनी कायड़ रोड, अजमेर।
2. चन्दप्रकाश पुत्र राधाकिशन जाति माहेश्वरी जरिये मु0 आम मुन्ना खां पुत्र घासी खां जाति मुसलमान निवासी कायड़ तहसील व जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर।

.....रेस्पोन्डेन्टस्

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजथान भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्व निर्णय जिला कलक्टर, अजमेर दिनांक 23–08–2016
अपील संख्या 02/2016 बउनवान जस्सी देवी बनाम सरकार

उपस्थित : 1. श्री मदन लाल गुर्जर अभिभाषक अपीलान्ट्स
2.श्री निर्मल कुमार जैन अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2

निर्णय

दिनांक : 28.12.17

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, अजमेर ने नामान्तरकरण संख्या 536 दिनांक 21–12–2004 के द्वारा विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 4369 रकबा 0.3000 हैक्टेयर का अपीलांट्स के नाम स्वीकार करने

का आदेश पारित किया जिसके विरूद्ध रेस्पोन्डेन्ट्स ने एक अपील जिला कलक्टर, अजमेर के यहां प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–8–2016 द्वारा अपील स्वीकार कर तहसीलदार, अजमेर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 536 दिनांक 21–12–2004 को निरस्त कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील के साथ प्रस्तुत एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 पर भी उभय पक्ष को सुना गया । अभिभाषक अपीलान्ट ने इस सम्बन्ध में यह तर्क दिया कि जिला कलक्टर, अजमेर का निर्णय दिनांक 23–8–2016 पारित करने से पूर्व रेस्पोन्डेन्ट को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया एवं एक तरफा में निर्णय पारित किया जो कि प्रार्थी के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव डालने वाला आदेश है जबकि अपीलांट विवादित भूमि के सहखातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज चले आ रहे है इसलिए अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रार्थी को माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित है अन्यथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। उपरोक्त तर्को से प्रार्थीगण अपीलाधीन आदेश से प्रभावित होने से यह अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

अभिभाषक अपीलान्ट की बहस का जवाब देते हुए रेस्पोडेन्ट अभिभाषक ने तर्क दिया कि जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–8–2016 में दर्शाई गई भूमि खसरा नम्बर पुराना 2499 के वर्किंग खसरा नम्बर 3098 का कुल क्षैत्रफल 1–17–0 में से क्षैत्रफल 0–8–4 की भूमि से अपीलार्थीगण का कोई हक अधिकार एवं सरोकार नहीं है। अपीलार्थीगण संख्या 1 से 3 के पिता रघुनाथ के द्वारा जरिये पंजीबद्ध बेनामा दिनांक 14–05–1984 को ही वर्किंग खसरा नम्बर 2499 रकबा 12–10–0 में से 1/6 हिस्सा की भूमि माधु पुत्र आम्बा जाति गुजर को बेचान कर कब्जा संभला दिया गया था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि चौसाला खसरा नम्बर 2499 के वर्किंग खसरा नम्बर 3098 का रकबा 1–17–0 में से 0–8–4 की भूमि को अपीलार्थीगण संख्या 1 से 3 के पिता रघुनाथ के द्वारा अवैधानिक रूप से श्रीमति मन्जू जैन एवं अजय कुमार जैन को गलत रूप से बेचान की गई इस पर माधु पुत्र श्री आम्बा के द्वारा दीवानी वाद संख्या 70/2000 मादू बनाम श्रीमति मन्जू जैन व अन्य न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश क0ख0 अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर निर्णय व डिक्री दिनांक 6–11–2003 के अनुसार मादू का वाद स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 3098 रकबा 1–17–0 में से रकबा 0–8–4 की भूमि के सन्दर्भ में अपीलार्थीगण संख्या 1 से 3 के पिता रघुनाथ के द्वारा श्रीमति मन्जू जैन व अजय कुमार जैन के पक्ष में किया गया अवैधानिक बेनामा को निरस्त किया गया एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित कर पाबन्द किया गया कि पुराना खसरा नम्बर 2499 का भाग वर्किंग खसरा नम्बर 3098 रकबा 1–17–0 में से क्षैत्रफल 0–8–4 की भूमि ग्राम कायड तहसील अजमेर स्थिति भूमि को किसी अन्य को रहन, दान बेचान नहीं करे। अंतिम निर्णय

व डिक्री है कि जिसे कोई चुनौती नहीं दी गई है कि इस निर्णय व डिक्री दिनांक 6–11–2003 की अपीलार्थीगण को पूर्ण जानकारी होते हुए दीवानी न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को छिपाकर बिना किसी अधिकार के अपील प्रस्तुत की गई, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि श्री मादू पुत्र श्री आम्बा के वारिसान के द्वारा खसरा नम्बर पुराना 2499 रकबा 12–10–0 में से 1/6 हिस्सा की भूमि को जरिये पंजीबद्ध बेनामा दिनांक 17–10–2007 को ही श्री चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री राधाकिशन मून्दड़ा, श्री सुरेश सबलानी पुत्र श्री होतचन्द को बेचान कर कब्जा संभला दिया गया तत्पश्चात श्री सुरेश सबलानी के द्वारा उसके हिस्से की भूमि को जरिये पंजीबद्ध बेनामा दिनांक 9–4–2010 को ही रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 चन्द्रप्रकाश को बेचान कर दी गई इस प्रकार खसरा संख्या पुराना 2499 रकबा 12–10–0 की भूमि में से 1/6 हिस्सा का खातेदार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 चन्द्रप्रकाश दर्ज किया गया।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री राधाकिशन के द्वारा उसकी खरीदशुदा भूमि का भाग जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 31–3–2010 को वर्किंग खसरा नम्बर 3098 का भाग क्षैत्रफल 400.00 वर्गगज का भूखण्ड रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 श्रीमति जस्सी देवी उर्फ गलकू को बेचान कर कब्जा संभला दिया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के द्वारा खरीदशुदा भूखण्ड पर चार कमरे जिनमें से एक कमरा आरसीसी का एवं तीन कमरे चद्दरपोश तथा लेट व बाथरूम मय नल व बिजली कनेक्शन एवं सेफ्टी टेंक व वाटर टेंक तथा चार दीवारी का निर्माण करवाया गया जो कि चार दीवारी सात फुट ऊंची निर्माण करवाया गया एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 मय परिवार के निवास करती आई है तथा शेष भूमि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 चन्द्रप्रकाश की ही है जिस पर भी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के द्वारा चारदीवारी का निर्माण कर काबिज है। उक्त सभी तथ्यों की अपीलार्थीगण को पूर्ण जानकारी होते हुए भी वास्तविक तथ्यों को छिपाकर अपील प्रस्तुत की है जबकि अपीलार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार ही नहीं है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थीगण संख्या 1 से 3 के पिता रघुनाथ एवं अपीलार्थी संख्या 4 व 5 तथा कन्हैया लाल पुत्र श्री रामा के द्वारा भी जरिये पंजीबद्ध बेनामा दिनांक 4–5–1990 को गलत रूप से वर्किंग खसरा नम्बर 3098 रकबा 1–17–0 की भूमि को श्रीमति मन्जू जैन एवं अजय कुमार जैन को गलत बेचान की गई इसी कारण दीवानी वाद संख्या 70/2000 मादू बनाम श्रीमति मन्जू जैन व अन्य के दीवानी वाद में दीवानी न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 6–11–2003 के अनुसार श्री रघुनाथ के द्वारा श्रीमति मन्जू देवी व अजय कुमार जैन की बेचान की भूमि में से रकबा 0–8–4 की भूमि के सन्दर्भ में विक्रय पत्र निरस्त किया गया तथा श्री मादू की खरीदशुदा भूमि स्वीकार की गई। इस प्रकार अपीलाधीन भूमि जिसे पूर्व में ही उक्त अनुसार बेचान की जा चुकी थी। उक्त समस्त तथ्यों की अपीलार्थीगण को पूर्व से ही जानकारी होते हुए भी

गलत तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की गई है तथा कन्हैया लाल पुत्र रामा का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस अपीलार्थी संख्या 6 औंकार पुत्र कन्हैया है इस प्रकार अपीलार्थीगण को अपीलाधीन भूमि के सन्दर्भ में समस्त तथ्यों की जानकारी होते हुए भी गलत तथ्यों के आधार पर बिना किसी अधिकार के अपील प्रस्तुत की गई है। अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–8–2016 विधिसम्मत है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 96 खारिज किया जावे।

उभय पक्षों की धारा–96 जा0दी0 पर सुनी बहस एवं उपलब्ध अभिलेख के मनन पश्चात अपीलान्ट का धारा–96 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर द्वारा प्रार्थी को बिना विधिवत नोटिस दिये एवं समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर भी ध्यान नहीं दिया कि तहसीलदार ने विधिवत रूप से जांच कर अपीलांट्स के नाम नामान्तरकरण स्वीकार करने का आदेश प्रदान किया एवं अपीलांट्स के पिता विवादग्रस्त आराजियात के सहखातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है जिसका अंकन जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 में है किन्तु रेस्पोन्डेन्ट ने तथ्यों को छिपाकर अपीलांट को प्रकरण में पक्षकार बनाए बिना अपील प्रस्तुत कर एकतरफा में अपीलाधीन आदेश पारित करवा लिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर ने विवादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण की सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की अविभाजित भूमि है जिस पर अपीलांट्स का निरस्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं रेस्पोन्डेन्ट्स का इस भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं रहा फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोन्डेन्ट द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील मियाद बाहर थी और रेस्पोन्डेन्ट ने अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में ऐसा कोई समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया जिससे कि उसकी अपील को अन्दर मियाद शुमार की जा सके। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बिन्दु पर ही निरस्त योग्य थी। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–8–2016 को निरस्त किया

जाकर तहसीलदार अजमेर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 536 दिनांक 21–12–2004 को यथावत रखे जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलांट्स के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान डी.एन.जे. 1998 पेज 767, आर.आर.डी. 2002 पेज 26, आर.आर.टी 2005 II पेज 774, आर.एल.डब्लयू 2010 (2) RJ. पेज 791 आर.आर.डी. 1993 पेज 44 आदि नजीरे प्रस्तुत की। डी.एन.जे. 1998 पेज 767 में उल्लेख है कि ''परिसीमा अधिनियम, 1976–धारा 3 व 5 प्रत्येक वाद, अपील और याचिका हेतु परिसीमा का बंधन निहित है तो प्रथम परिसीमा का प्रश्न निपटाया जावेगा भले ही इस संबंध का विवाद नहीं उठाया गया हो– वर्तमान मामलें में परिसीमा में हुआ विलम्ब के लिए धारा–5 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन का निस्तारण बिना किये, मामलें को अंतिम रूप से निर्धारित कर दिया गया– आक्षेपित आदेश अपास्त कर मामला लौटाया जाता है जिससे कि विलम्ब के शमन पर निर्धारण हो जावे। अन्य रूलिंग आर.आर.टी 2005 II पेज 774 में उद्धरित किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 84 विशेषाधिकारी के आदेश से भूमि अवाप्त की गई और आदेश की पालना में भूमि नगर सुधार न्यास के नाम नामान्तरित की–नामान्तरकरण तस्दीक करने के आदेश को चुनौती दी किन्तु निचले न्यायालयों ने अपील खारिज की– निगरानी नामान्तरकरण का मूल आधार भूमि अवाप्ति का आदेश है– भूमि अवाप्ति के आदेश को चुनौती दिये बिना नामान्तरकरण निरस्त नहीं किया जा सकता– निचले न्यायालयों के आदेश में विधिक अथवा क्षैत्राधिकारिता की त्रुटि नहीं है तथा यथावत रखा।'' की ओर ध्यान आकर्षित किया गया।

अपीलांट अभिभाषक की उक्त बहस के जवाब में रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि ग्राम कायड़ तहसील अजमेर स्थित विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 2499 रकबा 12–10–00 किस्म बारानी के सह खातेदार रधुनाथ पुत्र गणेश जाति गुर्जर निवासी ग्राम कायड़ के 1/6 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि स्व0 मादू गुर्जर ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 14–5–1984 से क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। उक्त क्रय शुदा आराजी खसरा नम्बर 2499 के नये खसरा नम्बर 3098, 3099 व 3100 बने। रघुनाथ पुत्र गणेश द्वारा उक्त खरीदशुदा आराजी का अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरित कर दिये जाने पर खातेदार मादू पुत्र आम्बा जाति गुर्जर निवासी ग्राम कायड़ द्वारा उक्त पश्चातवर्ती विक्रय पत्र को निरस्त कराने हेतु सिविल न्यायाधीश (क0ख0) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्र0व0 अजमेर जिला अजमेर के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया। माननीय सिविल न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 6–11–2003 से वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री कर खसरा नम्बर पुराना 2499 का एक भाग मौजूदा खसरा नम्बर 3098 क्षैत्रफल 1–17–0 में से क्षैत्रफल 0–8–4 के सन्दर्भ में पश्चातवर्ती विक्रय पत्र को निरस्त करते हुए क्रेता (रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2) व असाइनीज को स्थाई निषेधाज्ञा से उक्त विवादित आराजी को रहन, दान, बेचान नहीं करने एवं वादी के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करने बाबत पाबन्द किया गया। तहसीलदार, अजमेर द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री के विपरीत विवादग्रस्त आराजियात

को नामान्तरकरण संख्या 536 से पुनः मूल खातेदारान रघुनाथ, ओंकार, मिठ्ठू पिसरान गणेश एवं कन्हैया पुत्र रामा जाति गुर्जर के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन दर्ज कर दिया। सिविल वाद में निर्णय व डिक्री होने के पश्चात मादू पुत्र आम्बा जाति गुर्जर निवासी ग्राम कायड़ की मृत्यु हो गई। मादू के वारिसान द्वारा क्रय शुदा आराजी के हक हिस्से की आराजी का बेचान जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र श्री चन्द्रप्रकाश मून्दड़ा पुत्र राधाकिशन जी मून्दड़ा जाति माहेश्वरी निवासी सिविल लाईन्स अजमेर एवं श्री सुरेश सबनानी पुत्र स्व. श्री होतचन्द जाति सिंधी निवासी अजमेर को किया गया। तत्पश्चात पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 19–4–2010 से श्री सुरेश सबनानी के हक हिस्से की आराजी भी श्री चन्द्रप्रकाश मून्दड़ा द्वारा क्रय कर ली गई। श्री चन्द्र प्रकाश मून्दड़ा द्वारा खसरा नम्बर 3098 का भाग 400 वर्ग गज जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 6–4–2010 से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 श्रीमति जस्सी देवी उर्फ गलकू को एवं इतना ही भू–भाग 400 वर्गगज रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 मुख्त्यारआम मुन्ना खां पुत्र घासी खां जाति मुसलमान को जरिये विक्रय हस्तांतरित किया गया है। तहसीलदार, अजमेर द्वारा राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किये बिना तथा माननीय सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्र0व0 अजमेर के निर्णय एवं डिक्री के तथ्यों के विपरीत आक्षेपित नमान्तरकरण संख्या 536 दिनांक 2–11–2004 स्वीकृत किया जिसे अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार, अजमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि तहसीलदर विधि अनुरूप तथ्यों की भंलीभांति जांच कर समस्त पक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करे, जो विधिसम्मत आदेश है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन व अध्ययन किया गया जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त आराजियात के रेकार्डेड सहखातेदार श्री रघुनाथ पुत्र गणेश जाति गुर्जर निवासी ग्राम कायड़ द्वारा अपने हिस्से की आराजियात को दो बार विक्रय कर दिये जाने से पूर्व क्रेता मादू पुत्र आम्बा जाति गुर्जर निवासी ग्राम कायड़ द्वारा पश्चातवर्ती विक्रय पत्र को जरिये वाद सिविल न्यायालय में चुनौती दी गई। माननीय सिविल न्यायालय (क0ख0) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्र0व0 अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 6–11–2003 से दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री करते हुए पश्चातवर्ती विक्रय पत्र को निरस्त कर दिया। साथ ही पश्चातवर्ती विक्रेतागण को मादू के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं किये जाने हेतु पाबन्द किया गया। अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर द्वारा आक्षेपित नामान्तरकरण सिविल न्यायालय के आदेश के अनुरूप नहीं खोले जाने से आक्षेपित नामान्तरकरण को निरस्त किया है। कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी उसी आराजियात को दो बार बेचान नहीं कर सकता। मादू पुत्र आम्बा जाति गुजर द्वारा क्रय की गई भूमि का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद नहीं होने से विवादग्रस्त आराजियात के मूल खातेदार द्वारा पुनः आराजी का बेचान कर दिया गया जो विधिविरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर द्वारा

पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–8–2016 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन व विशलेषण के आधार पर अपीलान्टस की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर) अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23–8–2016 अन्तर्गत अपील संख्या 02/2016 बउनवान श्रीमती जस्सी देवी बनाम राजस्थान सरकार विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर